

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर विभागाध्यक्ष तथा,  
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक : 12 नवम्बर, 1997

विषय:—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अर्बोन पारिवारिक पेंशन को पात्रता-विकलांग तथा मानसिक रूप से विकसित संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तारण।

महोदय,

वित्त सामान्य  
अनुभाग-3,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1155/दस-2/81, दिनांक 6 अगस्त, 1981 में यह व्यवस्था की गयी है कि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई पुत्र/पुत्री मानसिक रूप से विकसित/शरीर से विकलांग है और मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्साधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है कि वह अपनी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है तो माता तथा पिता की मृत्यु के उपरान्त ऐसे विकलांग/मानसिक रूप से विकसित सन्तान को आजीवन अथवा जीविकोपार्जन करने की तिथि जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1981 के प्रस्तर-2 (1) में यह प्रतिबन्ध है कि ऐसी विकलांग/मानसिक विकसितता कर्मचारी को सेवाकाल में परिलक्षित हो गई हो। इस शासनादेश की शर्त संख्या-2 (5) में यह व्यवस्था की है कि मानसिक रूप से विकसित अथवा विकलांग पुत्र अथवा पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन इसी प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी जैसे वह पुत्र/पुत्री अवयस्क हो। उपरोक्त प्रस्तर-2 (1) एवं 2 (5) की व्यवस्था के रहते पारिवारिक पेंशन को कठिनाई हो रही है तथा यह भी अनुभव किया गया कि ऐसी सन्तानों लाभ से वंचित हो रही है जिसकी विकलांगता/मानसिक विकसितता कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त परिलक्षित हुई है।

2—प्रतः सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार की कठिनाइयों पर सम्बन्ध रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1981 के प्रस्तर-2 (1) तथा 2 (5) में निहित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधन किये जाने को सहर्ष स्वीकृत प्रदान कर दो है:-

(क) पुत्र/पुत्री को विकलांगता/मानसिक विकसितता यदि कर्मचारी की सेवाकाल के उपरान्त भी परिलक्षित हुई है तो उसे पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, बशर्ते उसे किसी अन्य नियम के अर्बोन पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग वयस्क संतान, यदि वह स्वयं पेंशन प्राप्त कर सकने में सक्षम है, तो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु संरक्षक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं।

3—उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6-8-1981 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,  
आलोक रंजन,  
सचिव।

संख्या-सा-3-1513(1)/दस-97-2-81/(टी 0 सी 0) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-- महालेखाकार, प्रथम, तथा तृतीय उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2-- महालेखाकार, द्वितीय उ० प्र०, लखनऊ।
- 3-- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, लखनऊ।
- 4-- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 5-- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।
- 6-- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

आज्ञा से,  
विजय बहादुर सिंह  
संयुक्त सचिव।

पी० ए०स० यू० पी०-ए० पी० 115 सा० वित्त-4-12-97-(1902)-1997-12000 (मेक०)